मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी

पंजीकरण दिनॉक: 09.04.2018
निर्णय दिनॉक: 03.02.2020
अवधि: 1 वर्ष 9 माह 24 दिन

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या 131/2018

1. अजय सिंह उर्फ अज्जू पुत्र स्व. श्री झमलू उम्र 50 वर्ष;
2. श्रीमती जशोदा देवी पत्नी श्री अजय सिंह उर्फ अज्जू उम्र 46 वर्ष;
समस्त निवासीगण-ग्राम व पोस्ट तालौड़ थाना शाहजहांपुर तहसील मोंठ जिला झांसी, (उ.प्र.)

-------याचीगण

बनाम

1. फूल सिंह पुत्र श्री नाथूराम निवासी ग्राम तालौड़ थाना शाहजहांपुर तहसील मोंठ जिला झांसी, (उ.प्र.) .....पंजीकृत स्वामी ट्रैक्टर संख्या 5039 D जॉन डियर इंजिन नं. PY3029D439666, चेसिस नं. 1VY5039DHHHA003106
2. अरबिन्द पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम छिरौना थाना चिरगांव तहसील मोंठ जिला झांसी, (उ.प्र.) .....चालक ट्रैक्टर संख्या 5039 D जॉन डियर इंजिन नं. PY3029D439666, चेसिस नं. 1VY5039DHHHA003106
3. यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये मण्डलीय प्रबन्धक यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, शिवपुरी रोडनन्दनपुरा चौराहा के पास, झांसी जिला झांसी, (उ.प्र.) .....बीमाकर्ता कम्पनी ट्रैक्टर संख्या 5039 D जॉन डियर इंजिन नं. PY3029D439666, चेसिस नं. 1VY5039DHHHA003106

-------विपक्षीगण

अधिनिर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना मे श्री अमित उर्फ तराना की मृत्यु पर क्षतिपूर्ति ` 34,50,000/- हेतु विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. याचिका के अनुसार संक्षेप में प्रकरण यह है कि श्री अमित उर्फ तराना पुत्र श्री अजय सिंह उर्फ अज्जू निवासी ग्राम व पोस्ट तालौड़ थाना शाहजहांपुर तहसील मोंठ जिला झांसी उम्र 19 वर्ष, दिनांक 02.01.2019 को ट्रैक्टर जिस पर नम्बर नहीं पड़ा था, किंतु जिसका इंजन नं. PY3029D439666, चेसिस नं. 1VY5039DHHHA003 106 था, पर बैठकर मजदूरी करने जा रहा था। जब उक्त ट्रैक्टर समय करीब 4.15 बजे अपरान्ह खुदावरी की पुलिया के पास बहद तालौड़ पहुॅचा तभी ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को बड़ी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर पलटा दिया जिससे याचीगण के पुत्र अमित उर्फ तराना की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी। मृतक मृत्यु से पूर्व कृषि एवं मजदूरी करके 8000/- रुपये प्रतिमाह कमा लेता था ।

3. विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से संयुक्त रूप से 23B जवाबदावा दाखिल किया गया है जिसमे परस्पर विरोधी कथन किए गए हैं। एक ओर याचिका के तथ्यों से इन्कार करते हुए दुर्घटना होने से इन्कार कर दिया गया है तथा दूसरी ओर यह भी कथन किया गया है कि यदि दुर्घटना होना पाया जाता है तो ट्रैक्टर विपक्षी सं. 1 के दामाद के कब्जे मे था। विपक्षी सं. 2 के पास दुर्घटना के दिनॉक को ट्रैक्टर चलाने का वैध व प्रभावी लाइसेन्स था व घटना के दिनॉक को विपक्षी सं. 1 का ट्रैक्टर विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.08.13 10:54:02 IST
Reason: Document Owner
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

इन्श्योरेन्स कं. लि. से बीमित था। यदि किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी विपक्षी सं. 1 व 2 की पायी जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेवारी विपक्षी सं. 3 की है।

4. विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. की ओर से 17B जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये गये हैं कि कथित दुघर्टना के दिनॉक व समय पर विवादित ट्रैक्टर चालक के पास कोई वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था तथा वह बीमा पॉलिसी की शर्तों के विरूद्ध अवैधानिक रूप से वाहन चला रहा था, इस कारण भी विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व क्षतिपूर्ति अदायगी का नहीं बनता है। विवादित ट्रैक्टर जो कृर्षि कार्य हेतु पंजीकृत है , पर केवल ट्रैक्टर चालक ही कानूनन रूप से किसी प्रकार की अपनी स्वयं की क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है। ट्रैक्टर या ट्राली पर बैठे हुये किसी भी व्यक्ति का न तो कोई बीमा प्रीमियम धनराशि दी गयी है और न ही रजिस्ट्रेशन में बैठने के लिये अधिकृत हैं, इस कारण किसी भी तृतीय पक्ष जो विपक्षीगण सं. 1 व 2 के ट्रैक्टर पर बैठा हुआ हो, के बावत् कोई क्षतिपूर्ति अदायगी का उत्तरदायित्व विपक्षी सं. 3 का नहीं है। बीमा कम्पनी का दायित्व तभी बनता है जब बीमा संविदा की सभी शर्तों का पालन किया गया हो।

5. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.1.2019 को निम्नलिखित वाद बिंदु विरचित किए गए:-

1- क्या दिनांक 03.01.2018 को जब याचीगण का पुत्र अमित उर्फ तराना विपक्षी वाहन स्वामी के ट्रैक्टर जिस पर नंबर नहीं पड़ा हुआ था व जिसका इंजन नं. PY3029D439666 व चेचिस नं. 1VY5039DHHHA003106 था के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर समय करीब 4:15 बजे खुदावरी की पुलिया के पास वहद ग्राम तालौड के पास पलटा दिया जिससे उसमें बैठे याची के पुत्र अमित उर्फ तराना को गंभीर चोटें आई और उसकी मृत्यु हो गई?

2- क्या दुर्घटना के समय उपरोक्त ट्रैक्टर जिसका इंजन नं. PY3029D439666 व चेचिस नं. 1VY5039DHHHA003106 था, विपक्षी संख्या 3 द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के यहां बीमित था?

3- क्या दुर्घटना के समय उपरोक्त ट्रैक्टर जिसका इंजन नं. PY3029D439666 व चेचिस नं. 1VY5039DHHHA003106 था, के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी लाइसेंस था?

4- क्या याचीगण विपक्षी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं? यदि हॉ, तो किस विपक्षी से और कितनी?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

1- याचीगण द्वारा फेहरिस्त 7C1 से 8C1 लगायत 15C1 छाया प्रतियां,

2- याचीगण द्वारा फेहरिस्त 28C1 से 28C1/2 लगायत 28C1/21, जिनमें एफ.आई.आर., नक्शा नजरी, पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट, वाहन रिलीज आदेश, वाहन निरीक्षण रिपोर्ट आदि की सत्यापित प्रतिलिपियां,

3- विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी की ओर से फेहरिस्त 34C1 से विपक्षी सं. 1 वाहन स्वामी के न्यू ट्रैक्टर की बीमा पॉलिसी की छाया प्रति दाखिल की गयी है,

4- याचीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में PW1 श्रीमती जशोदा (मृतक की मॉ) एवं PW2 अजय कुमार (आरोप पत्र का साक्षी) को परीक्षित कराया गया है।

7. पक्षकार एवं उनके अधिवक्तागण बहस के लिये उपस्थित नहीं आये। अधिवक्तागण इस न्यायाधिकरण के स्थापित व कार्यशील हो जाने के पश्चात भी इस मांग को लेकर कार्य नहीं कर रहे हैं कि न्यायाधिकरण को बार के समीप स्थानान्तरित कर दिया जाय। विधि व्यवस्था United India Insurance Co. Ltd. vs. Additional District

and Sessions Judge and Ors. (21.02.2003 - ALLHC) : MANU/UP/1479/2003 में यह धारित किया गया है कि वाद बिन्दु विरचित हो जाने के पश्चात यदि पक्षकार उपस्थित नहीं आते हैं तो न्यायाधिकरण पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय दे सकता है। मैंने, पत्रावली का परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1

8. वाद बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में PW1 ने यह कथन किया है कि उसका पुत्र तराना फूल सिंह के ट्रैक्टर पर मजदूरी करने गया था। चालक ने ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलटा दिया जिससे उसके बेटे की मृत्यु हो गयी। दुर्घटना के बारे में गांव के लोगों ने उसे बताया था। ट्रैक्टर मालिक फूल सिंह हैं। ट्रैक्टर चालक का नाम उसे नहीं मालूम। उसके दो लड़के हैं। सोनू मृतक से बड़ा है जो घर पर रहता है। उसके पति मजदूरी करते हैं। PW2 ने दुर्घटना के सम्बन्ध में यह कथन किया है कि दिनॉक 02.01.2018 को 4:15 बजे खुदावरी पुलिया के पास अमित हरे रंग के ट्रैक्टर पर बैठकर फूल सिंह के खेत पर मजदूरी करने जा रहा था। ट्रैक्टर का चालक बड़ी तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था और वह अपने ट्रैक्टर को नहीं संभाल पाया और ट्रैक्टर को पलटा दिया जिससे अमित को गम्भीर चोटें आयीं और उसकी वहीं मृत्यु हो गयी। ट्रैक्टर फूल सिंह का था जिस पर कोई नम्बर नहीं पड़ा था। ट्रैक्टर हरे रंग का था व नया था। उसने चालक को नहीं देखा।

9. इस दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि प्रपत्र सं . 28C1/3 पत्रावली पर उपलब्ध है जो दिनॉक 04.01.2018 को याची सं. 1 (मृतक के पिता) द्वारा दर्ज करायी गयी है। इसमें घटना का दिनॉक 02.01.2018 व समय करीब 4:15 बजे शाम बताया गया है तथा यह भी बताया गया है कि ट्रैक्टर चालक की तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर पर बैठे अमित की ट्रैक्टर पलटने से दबने के कारण मृत्यु हो गयी। घटना स्थल के नक्शा नजरी की सत्य प्रतिलिपि प्रपत्र सं . 28C1 के अनुसार भी ट्रैक्टर चालक की स्पष्ट लापरवाही दृष्टिगत होती है। इस प्रकरण में **''रेस इप्सा लाक्यूटर''** ('घटना स्वयं प्रमाण') का सिद्धान्त भी लागू होता है क्योंकि जहॉ पर दुर्घटना हुयी है वहॉ न तो कोई मोड़ है, न कोई अवरोध है और न ही कोई गढ्ढा है। बगैर तेजी व लापरवाही के ट्रैक्टर पलटने का कोई अवसर नही था। नक्शा नजरी निम्न प्रकार है-

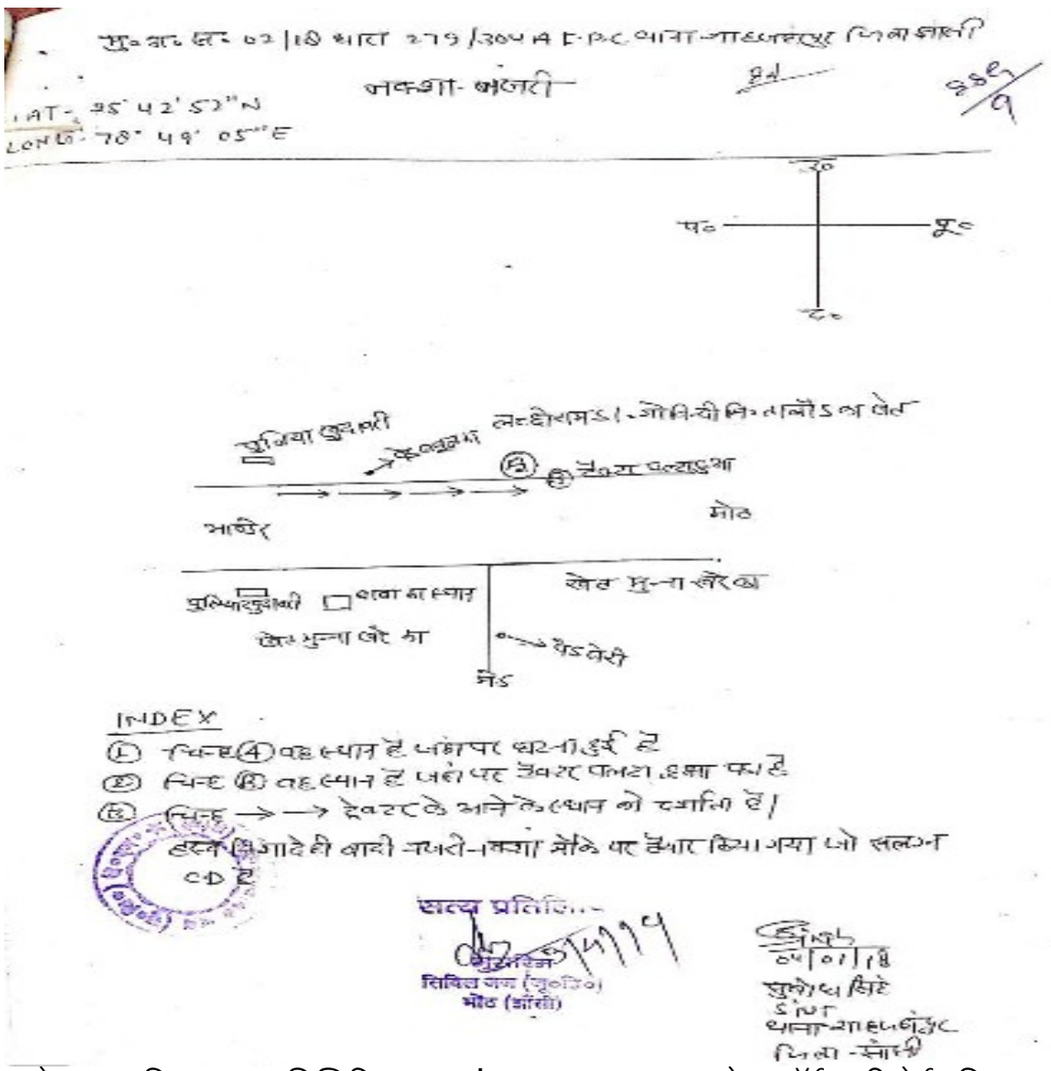

आरोप-पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रपत्र सं . 28C1/6 व पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि प्रपत्र सं. 28C1/11 के अनुसार सिर पर 2 फटे हुये घाव तथा 2 छिले हुये घाव कंधे व गले पर पाये गये हैं। दुर्घटनाग्रस्त वाहन की निरीक्षण रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि प्रपत्र सं. 28C1/21 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अनुसार स्टेयरिंग, सामने जाली, साईड मिरर आदि क्षतिग्रस्त हैं। बोनट, दोनों मडगार्ड बेंड व पचके हुये हैं, आगे का बांया रिम तथा पीछे का बड़ा रिम बेंड है। उक्त समस्त साक्ष्य से वाद बिन्दु सं. 1 सकारात्मक रूप से साबित होता है, अत: याचीगण के पक्ष मे निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2</u>

10. इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी की ओर से प्रपत्र सं. 35C1 बीमा पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार प्रश्नगत ट्रैक्टर इंजन सं. PY3029D439666, चेसिस नं. 1VY5039DHHHA003106 का बीमा दिनॉक 18.12.2017 से 17.12.2018 तक प्रभावी है। घटना दिनॉक 02.01.2018 की है। इस प्रकार वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से साबित होता है, अतः याचीगण के पक्ष मे निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

11. इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को विपक्षी सं. 2 चला रहा था। हलॉकि आरोप-पत्र विपक्षी सं. 2 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है किन्तु आरोप-पत्र में वर्णित दुर्घटना का एकमात्र प्रस्तुत चक्षुदर्शी PW2 ने यह स्पष्ट कथन किया है कि उसने चालक को नहीं देखा। वह दुर्घटना के समय दुर्घटनास्थल के पास अपने खेत मे पानी दे रहा था। जब वह पहॅचा तो ट्रैक्टर पलटा मिला था। उस समय वह अकेला था। उसे समन नही

मिला था। वह याची के कहने पर गवाही देने आया है। ऐसा बहुत कम ही संभव हो सकता है कि इस साक्षी द्वारा मडगार्ड पर बैठे मृतक को तो देख लिया गया किंतु चालक को नही देख सका। यह साक्षी चालक के बिंदु पर पूर्ण रूप से भरोसेमंद नही है। मात्र आरोप-पत्र मे विपक्षी सं. 2 का आरोपी के रूप मे नाम होने से यह नही माना जा सकता है कि वह ट्रैक्टर चला रहा था जबकि आरोप-पत्र में वर्णित साक्षी ने इस तथ्य की जानकारी होने से इंकार कर दिया हो। इस प्रकरण मे न तो विपक्षी सं. 1 का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, न ही विपक्षी सं. 2 का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है और न ही किसी अन्य ऐसे व्यक्ति का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित होता हो कि दुर्घटना के समय विपक्षी सं. 2 प्रश्नगत ट्रैक्टर को चला रहा था। विपक्षी सं. 1 ने अपने जबाबदावे में दुर्घटना होने के तथ्य से पूरी तरह इन्कार कर दिया है और साथ-साथ यह भी कहा है कि यदि दुर्घटना हुयी है तो दुर्घटना के समय ट्रैक्टर उसके दामाद के कब्जे में था। दामाद कौन है, कहॉ का निवासी है या दामाद विपक्षी सं. 2 है, यह भी स्पष्ट नहीं है। विपक्षी सं. 1 ने अपने दामाद को ट्रैक्टर क्यों दिया, दामाद दुर्घटनास्थल बहद ग्राम तालौड ट्रैक्टर लेकर क्यों गया आदि किसी बिंदु पर कोई साक्ष्य नही है। दुर्घटना में बताये जा रहे चालक को कोई चोट आने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। ऐसा कम ही सम्भव है कि ट्रैक्टर पलट जाए और उस पर सवार दो लोगों मे से एक की मृत्यु हो जाए और दूसरे को खरोंच तक न आए और जब PW2 दुर्घटना स्थल पर पहुॅचे तो उसे चालक न दिखाई दे।प्रथम सूचना रिपोर्ट मे चालक का नाम नही बताया गया है, साक्षीगण ने भी चालक का नाम नही बताया है। किसी पक्षकार का यह भी केस नही है कि जब दुर्घटना हुई तो मृतक स्वयं ट्रैक्टर चला रहा था। बीमा कम्पनी की कोई अन्वेषण आख्या पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्षतिपूर्ति का दायित्व बीमा कम्पनी पर डालने के निहित उददेश्य से चालक का नाम बाद मे रोपित किया गया है। अतः वाद बिन्दु सं. 3 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

12. चूंकि दुर्घटना अज्ञात चालक से हुयी है और दुर्घटना में याचीगण के पुत्र की मृत्यु हुयी है अतः याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब प्रश्न यह है कि किस विपक्षी से और कितनी क्षतिपूर्ति याचीगण प्राप्त करने के आधिकारी हैं? चूंकि चालक अज्ञात है अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व वाहन स्वामी विपक्षी सं. 1 फूलसिंह का है।

<u>क्षतिपूर्ति की गणना-</u>

13. PW1 व PW2 ने ` 300 प्रति दिन की मजदूरी बताई है। PW1 व PW2 ने मृतक को कृषि मजदूर बताया है। उल्लेखनीय है कि कृषि मजदूर को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। विधि व्यवस्था Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 - SC) : MANU/SC/7368/2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ` 100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 – ALLHC) : MANU/UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ` 200 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। वास्तव मे कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। उल्लेखनीय है कि कृषि मजदूर को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। माह मे औसतन चार दिन मजदूरी न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार कल्पित आय (Notional Income) ` 165 निर्धारित की जाती है।

14. PW1 तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मृतक की आयु 19 वर्ष साबित है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 18 का गुणक, 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40 % संभावित प्रत्याशा की वृद्धि, स्वयं के

खर्च पर 50 % की कटौती, याचीगण के दो पुत्रों के दृष्टिगत संपदा की क्षति के लिए ` 7,500/-, याचीगण की आर्थिक स्थति के दृष्टिगत दाह संस्कार के लिए ` 10,000/- निर्धारित किये जाते हैं।

INCOME	165	30	12	59400
FUTURE PROSPECTS			40	23760
AFTER DEDUCTION OF SELF EXPENSE				41580
MULTIPLIER			18	748440
LOSS OF ESTATE			7500	755940
FUNERAL EXPENSE			10000	**765940**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ` 7,65,940 (सात लाख पैसठ हजार नौ सौ चालीस) आती है। विधि व्यवस्था Parminder Singh Vs. New India Assurance Co. Ltd. & Ors. (01.07.2019 - SC) : MANU/SC/0860/2019 तथा The National Insurance Company Ltd. vs. Pushpa Garg and Ors. (19.08.2019 - ALLHC) : MANU/UP/2480/2019 के आलोक मे विपक्षी सं. 2 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को भुगतान करने एवं तत्पश्चात विपक्षी सं. 1 फूल सिंह से वसूली का आदेश किया जाना न्यायोचित होगा। National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। चूँकि याची स्वयं अर्जन करता है अत: याची सं. 1 व 2 में क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 30 व 70 प्रतिशत भाग का बंटवारा न्यायोचित होगा। के आलोक मे Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 - SC) : MANU/SC/1949/2009 क्षतिपूर्ति धनराशि की सावधि जमा से प्रत्येक माह ब्याज प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी सं. 1 फूल सिंह के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ` 7,65,940 (सात लाख पैसठ हजार नौ सौ चालीस) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, हेतु स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं. 2 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 60 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दे एवं तत्पश्चात विपक्षी सं. 1 फूल सिंह से वसूल ले।

याची सं. 1 व 2 क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 30 व 70 प्रतिशत भाग प्राप्त करेगें तथा याचीगण की धनराशि का 80% भाग सावधि जमा मे 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे रखे जांएगे जिसका प्रतिमाह ब्याज याचीगण प्राप्त करते रहेंगें।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 03.02.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झांसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया। निर्णय की सूचना पक्षकारों को दी जाए।

दिनॉक 03.02.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झांसी